



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2047]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2009/अग्रहायण 16, 1931

No. 2047]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2009/AGRAHAYANA 16, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3123(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ) तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की स्मरणों में,—

(i) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“मैसर्स विमला लैब्स लिमिटेड, प्लॉट सं. 5, एस. पी. बायोटेक पार्क, जिनेम वैली, शामरपेट, हैदराबाद-500078”;

(ii) क्रम संख्यांक 8 के सामने,—

(क) स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“मैसर्स सेसा मोधा लिमिटेड, सेसा एनवायरन्मेंटल लैबोरेट्रीज कोडिल माइन्स, डाकघर किरलापाले डाबल-403706”;

(ख) स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1) सुश्री लीना बी. वरेकर (2) श्री अरविन्द होंडगोल (3) श्री जगदीश आर. देसाई :—

(iii) क्रम संख्यांक 31 के सामने स्तंभ 3 में, क्रम सं. (1) और सं. (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1) “डॉ अरधेंदु शेखर शन्नीगढी (3) श्री तपस कुंडु”;

(iv) क्रम संख्यांक 34 के सामने स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“मैसर्स सरगम लैबोरेट्री प्रा. लि.”;

(v) क्रम संख्यांक 40 के सामने स्तंभ 3 में, क्रम सं. (1) और सं. (6) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(1) श्री रामचंद्र बी. भंडारे (6) श्री हेमंत पी. वाहलकर”;

(vi) क्रम संख्यांक 48 के सामने,— (क) स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“मैसर्स स्काई लैब अनालैटिकल लैबोरेट्रीज, चिंतामणो स्मृति अपार्टमेंट, प्रथम तल, गजानन महाराज मंदिर के सामने, परनका, कल्याण (पश्चिमी)-421301”;

(ख) स्तंभ सं. 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर सं. (2), में निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) श्रीमती रंजना अतुल कुलकर्णी”;

- (vi) क्रम संख्यांक 66 के सामने स्तंभ 3 में, क्रम सं. (1) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
"सुश्री शालिनी गुप्ता"।

[फा. सं. क्र. 15018/7/2003—सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पर्याप्ततः संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, का.आ. 1811 (अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55 (अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894 (अ), तारीख 31 जून, 2008, का. आ. 2728 (अ), तारीख 25 नवम्बर, 2008, का. आ. 1356 (अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 और का.आ. 2399 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009 द्वारा किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2009

**S.O. 3123(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174 (F), dated the 18th July, 2007 namely :—

2. In the Table to the said notification,—

- (i) against serial No. 5, in column No. 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
"M/s. VIMTA Labs Limited, Plot No. 5, S.P. Biotech Park, Genome Valley, Shamperpet, Hyderabad-500078";
- (ii) against serial No. 8,—
  - (a) in column No. 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
"M/s. Sesa Goa Limited, Sesa Environmental Laboratory, Godli Mines, P.O. Kirlapale Dabal-403706";
  - (b) in column No. 3, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—  
"(1) Ms. Leena B. Verenker (2) Shri Arvind Handigol (3) Mr. Jagdish R. Desai";
- (iii) against serial No. 31, in column No. 3, for the existing at No. (1) and No. (3), the following entries shall be substituted, namely :—  
"(1) Dr. Ardhendu Sekhar Shannigrahi (3) Mr. Tapas Kundu";
- (iv) against serial No. 34, in column No. 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
"M/s. Sargam Laboratory Pvt. Ltd.";
- (v) against serial No. 40, in column No. 3, for the existing entries at No. (1) and No. (6), the following entries shall be substituted, namely :—  
"(1) Mr. Ramchandra B. Bhandare (6) Mr. Hemant P. Vahalkar";
- (vi) against serial No. 48: (a) in column No. 2, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :—  
"M/s. Sky Lab Analytical Laboratory, Chintamani Smruti Apartment, First Floor, Opposite Gajanan Maharaj Mandir, Parnaka, Kalyan (W)-421301";  
(b) in column No. 3, for the existing entry at No. (2), the following entry shall be substituted, namely :—  
"(2) Mrs. Ranjana Atul Kulkarni";
- (vii) against serial No. 66, in column No. 3, for the existing entry at No. (1), the following entry shall be substituted, namely :—  
"(1) Ms. Shalini Gupta".

[F. No. Q. 15018/7/2003—CPW]

RAINEESH DUBE, Jt. Secy

**Note.**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide S.O. 1174(F), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended vide notification numbers S.O. 1539 (F), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811 (E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(F), dated 9th January, 2008, S.O. 428(E), dated 4th March, 2008, S.O. 865 (F), dated the 11th April, 2008, S.O. 1894 (F), dated 31st July, 2008, S.O. 2728 (E), dated the 25th November, 2008, S.O. 1356 (E), dated the 27th May, 2009, S.O. 1802(E), dated the 22nd July, 2009 and S.O. 2399 (F), dated the 18th September, 2009.